बिहार विधान परिषद्

188वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 5

शुक्रवार, तिथि — 02 चैत्र, 1940 (श.) / 23 मार्च, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 11

1.	शिक्षा विभाग	-	-	10
2.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	-	-	01
			कुल योग –	11

राशि का भुगतान

147. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि विभाग को राशि आवंटित होने के बावजूद भी राज्य के तमाम अल्पसंख्यक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को समय से वेतन भुगतान नहीं किया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना स्थित दयानन्द बालक, दयानन्द बालिका एवं आर्य कन्या अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों को विभागीय अकर्मण्यता के कारण छ:छ: महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है जिससे शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उदासीन पदाधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई कर वेतन के मद में पड़ी लम्बित राशि को प्रभावित विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के समक्ष भुगतान सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अध्यक्ष की नियुक्ति

148. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में मध्यमा तक संस्कृत शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के नियमन और नियंत्रण के लिए बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त बोर्ड में पूर्णकालिक अध्यक्ष का पद वर्षों से रिक्त है और वह प्रभार में चलाया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष के अभाव में मध्यमा स्तर तक की परीक्षाएं अनियमित और बहुत पीछे चल रही है जिससे बोर्ड के नियंत्रणाधीन विद्यालयों से छात्रों का पलायन हो रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति करना चाहती है और परीक्षाओं को समयबद्ध करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

परीक्षा कबतक

149. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों में डी.एल.एड. कर रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों जिनका सत्र 2014-16 तथा 2015-17 था, अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दोनों सत्रों की परीक्षा नहीं ली गई है;

(ख) क्या यह सही है कि इस कारण राज्य के प्रशिक्षित शिक्षकों को आर्थिक एवं वरीयता का नुकसान हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सत्र 2014-16 तथा 2015-17 की परीक्षा लेना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

संस्था को प्रमाण-पत्र

150. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत ग्राम काजीचक में स्थित मदरसा अहमदिया हनफिया राज्य के संकल्प सं.-1429, दिनांक 28.12.1992 के द्वारा सरकार से दर्जा फौकानिया स्तर तक वित्त सहित प्रस्वीकृत है;

(ख) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 1068, दिनांक 21 मई, 2015 के आलोक में उक्त संस्था को अल्पसंख्यक संस्था होने का प्रमाण पत्र अबतक निर्गत नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मदरसा अहमदिया हनफिया काजीचक, पो.-करनौल, मुजफ्फरपुर को अल्पसंख्यक संस्था होने का प्रमाण पत्र निर्गत करने का विचार रखती है?

दोषी पर कार्रवाई

151. **श्री राणा गंगेश्वर सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिला में वित्तीय वर्ष 2016-17 में पोशाक योजना के लिए 117908600 रुपये, छात्रवृत्ति योजना में 28413000, किशोरी स्वास्थ्य योजना में 5554650, परिभ्रमण योजना के तहत 13680000 तथा साईकिल योजना के तहत 148675000 लाख रुपये का आवंटन किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि पोशाक, छात्रवृत्ति, किशोरी स्वास्थ्य योजना, परिभ्रमण योजना, साईकिल योजना की वित्तीय वर्ष 2016-17 की राशि जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं डी.पी.ओ. (लेखा) गोपालगंज द्वारा छात्र-छात्राओं के खाते में नहीं भेजी गई, जिस के कारण पिछले वित्तीय वर्ष की राशि से हजारों छात्र-छात्रायें वंचित हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है?

आर्केस्ट्रा और डीजे पर रोक

152. **श्री टुन जी पाण्डेय** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्तमान समय में भोजपुरी गायकों द्वारा गाए जाने वाले अश्लील गीतों से सामाजिक वातावरण पर कुप्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि इन गायकों द्वारा समाज की लड़कियों का नाम रखकर जैसे-रूबी, रिंकी, मुन्नी, बुच्ची, प्रीति आदि अश्लील गीतों को गाकर इनके प्रतिष्ठित रूप से जीने के अधिकार पर कुठाराघात हो रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि समाज में वर्तमान भोजपुरी गायकों द्वारा नए प्रचलन के नाम पर गाए जाने वाले भोजपुरी गीतों से सामाजिक व्यवस्था और सौहार्द में जहर घोला जा रहा है;

(घ) क्या यह सही है कि समाज के किसी भी छोटे-बड़े आयोजनों में आयोजित किए जाने वाले आर्केस्ट्रा एवं डीजे साउण्ड की ध्वनि काफी ऊंची आवाज में होने से ध्वनि प्रदूषण का माहौल बना हुआ है जिसके विरुद्ध स्थानीय स्तर पर शासन-प्रशासन के द्वारा कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है तथा समाज में डीजे और आर्केस्ट्रा के कारण अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार समाज में कुप्रभाव देने वाले अश्लील गीतों एवं आर्केस्ट्रा के अश्लील प्रदर्शनों पर रोक लगाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्रस्वीकृति कबतक

153. **श्री मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा निबंधित 2459+1 मदरसों की जांच विभागीय संकल्प सं.-1090, दिनांक 24.11.1980 में निहित शर्तों के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कराई जाएगी तथा जांचोपरांत निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले मदरसों का मदरसा बोर्ड द्वारा प्रस्वीकृति प्रदान की जाएगी;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बतलाएगी कि 2459+1 निबंधित मदरसों में से अबतक कितने मदरसों को मदरसा बोर्ड से प्रस्वीकृति प्रदान की गई है, कितने मदरसों की प्रस्वीकृति प्रक्रियाधीन है तथा इन्हें कबतक प्रस्वीकृति प्रदान की जाएगी?

शारीरिक शिक्षक की बहाली

154. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में लगभग 5 हजार 3 सौ माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें 800 के करीब शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति हो सकी है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्तमान समय में विषयवार शिक्षकों की कमी के कारण अधिकतर मा. स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों से दूसरे विषय यथा-गणित, विज्ञान एवं अन्य विषयों की पढ़ाई करवायी जाती है लेकिन इनसे इन्टर-मैट्रिक के मूल्यांकन का काम नहीं लिया जाता है जिससे उनमें रोष व्याप्त है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गुणात्मक शिक्षण कार्य के लिए जिन माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की कमी है, उस पद के विरुद्ध शिक्षकों की नियुक्ति करने एवं छात्रों की शारीरिक शिक्षा के साथ मानसिक स्वास्थ्य बने रहने हेतु सभी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक बहाली सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पद का सृजन

155. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नवस्थापित जिला स्कूलों में लिपिक और चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के पद सृजित नहीं हैं;

(ख) क्या यह सही है कि राजकीय बालिका उच्च विद्यालय जल्ला, पटना सिटी, पटना एक नवस्थापित जिला स्कूल है;

(ग) क्या यह सही है कि लिपिक और चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के पद के अभाव में विद्यालय संचालन और योजनाओं का कार्यान्वयन अत्यंत कठिन है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजकीय बालिका उच्च विद्यालय जल्ला, पटना सिटी, पटना सहित नवस्थापित जिला स्कूलों में लिपिक, चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के पदों का सृजन कर नियुक्ति करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

भवन का निर्माण

156. **श्री राणा गंगेश्वर सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2006-07 में राज्य के 38 जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 20 हजार स्वीकृत नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में 9 हजार 16 नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों के भवन का निर्माण अबतक नहीं किया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 9 हजार 16 स्वीकृत नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है?

दंडात्मक कार्रवाई

157. **श्री मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वित्त विभाग के पत्रांक 9889, दिनांक 01.12.2015 एवं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक 1334, दिनांक 22.10.2016 के आलोक में महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश के रूप में 180 दिनों की छुट्टी प्रदान की जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि सारण, छपरा जिलान्तर्गत नगरा प्रखंड के कादीपुर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कार्यरत नियोजित महिला शिक्षिकाओं को प्रधानाध्यापक के मनमाना व्यवहार के कारण 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की जगह मात्र 135 दिनों की छुट्टी प्रदान की जा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में नियोजित महिला शिक्षिकाओं को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश का लाभ दिलाते हुए दोषी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नही तो क्यों?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 23 मार्च, 2018